5. ए०सी०पी० योजना के तहत् लाभ स्वीकृति के मामले पर विचार करने के लिये विभागीय स्तर पर एक स्क्रीनिंग समिति गठित की जायेगी । स्क्रीनिंग समिति की संरचना वहीं होगी, जो नियमित प्रोन्नति पर विचार करने के लिये संगत भर्त्ती/सेवा नियमावली में विभागीय प्रोन्नति समिति की है, परन्तु यदि विभागीय प्रोन्नति समिति झारखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्य की अध्यक्षता में गठित है, तो ए०सी०पी० योजना के तहत् स्क्रीनिंग समिति मुख्य सचिव/सदस्य राजस्व पर्षद/विकास आयुक्त/समकक्ष पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित होगी ।

6. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग विभिन्न विभागों के ऐसे वरीय पदों के पदधारकों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत लाभ प्रदान करने के लिये स्क्रीनिंग समिति की संरचना के सम्बन्ध में स्थायी आदेश निर्गत करेगा । एकाकी पदों के लिये स्क्रीनिंग समिति का गठन उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा ।

7. ए०सी०पी० योजना को प्रभावकारी ढंग से लागू करने हेतु स्क्रीनिंग समिति समयबद्ध कार्यक्रम तय करेगा । समिति की बैठक एक वित्तीय वर्ष में कम से कम दो बार- जनवरी एवं जुलाई के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जायेगी ताकि वित्तीय उन्नयन की अग्रिम योजना तैयार की जा सके और देय तिथि के पूर्व कर्मचारी विशेष के वित्तीय उन्नयन के मामले पर कमिटी का निर्णय प्राप्त हो जाय ।

8. योजना को कारगर बनाने के लिये सम्वर्ग नियंत्री पदाधिकारी प्रथम स्क्रीनिंग समिति का गठन वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के लिये आदेश निर्गत होने के एक माह के अन्दर गठित करेंगे, ताकि परिपक्व मामले पर तुरन्त निर्णय लिया जा सके ।

9. ए०सी०पी० योजना केन्द्र सरकार के द्वारा लागू किया गया है, अतः इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत स्पष्टीकरण मुटाटिस मुटेंडिस(Mutatis Mutandis) राज्य कर्मियों के मामले में भी लागू होंगे।

10. यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा प्रथम बार लागू किया गया है और इसका अनुशरण करते हुये इसे राज्य कर्मियों के प्रसंग में अपनाया जा रहा है । अतः ऐसी प्रोन्नति औपबन्धिक रूप से देने के लिये प्रशासी विभाग को अधिकृत किया जाता है । प्रशासी विभाग एक वर्ष के अन्दर दी गयी औपबन्धिक प्रोन्नति की सम्पुष्टि वित्त विभाग से करा लेंगे । वित्त विभाग, प्रशासी विभाग के द्वारा दी गयी औपबन्धिक प्रोन्नति को संशोधित अथवा निरस्त करने में सक्षम होगा ।

....7.